

380

पूर्वोत्तर रेलवे



कार्यालय,  
महाप्रबन्धक (कार्मिक),  
गान्धिवपुर।

कनस- 153 / 2017

पत्र सं. 173/2/भाग-III/चार

दिनांक 10-08-2017

सचिव / महाप्रबन्धक  
सचिव / अपर महाप्रबन्धक  
सभी विभागाध्यक्ष  
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक  
सभी कार्मिक अधिकारी  
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक  
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी / स्थापना  
पूर्वोत्तर रेलवे।

3/25/8/15

विषय-चिकित्सा परीक्षा के समय पूर्ववर्ती चिकित्सा परीक्षा के परिणाम एवं विशेष चिकित्साकीय टिप्पणी की छाया प्रति के साथ चिकित्सा परीक्षा में जारी करने के सम्बन्ध में।

सतर्कता विभाग द्वारा यह संज्ञान में लाया गया है कि कर्मचारियों को सामयिक/पदोन्नति से पूर्व/विशेष/पिछली प्रतिकूल रिपोर्ट पर पुनर्विचार हेतु चिकित्सा परीक्षा में भेजते समय पूर्ववर्ती चिकित्सा परीक्षा के परिणाम एवं यदि विशेष चिकित्साकीय टिप्पणी दी गई हो तो उसकी छाया प्रति के साथ सम्बन्धित चिकित्सा परीक्षा में जारी किए जाए।

उपरोक्त संदर्भ में यह भी अवगत कराया गया है कि सम्बन्धित विभाग के कर्मचारियों को पी एम.ई में भेजते समय सतर्कता संगठन के उक्त सुझावों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है क्योंकि कार्मिक विभाग द्वारा प्राथमिक चिकित्सा परीक्षा के परिणाम की प्रतिलिपि कर्मचारियों के विभागों को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अतः सभी सम्बन्धित कृपया सतर्कता विभाग द्वारा दर्शाये गये नद्विती सुधार के सम्बन्ध में समस्त नवनि्युक्त कर्मचारियों के प्राथमिक चिकित्सा परीक्षा के परिणाम की प्रतिलिपि सम्बन्धित विभागों को उपलब्ध कराये।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

10-08-17

य. क. सिंह ।  
उपमुख्य अधिकारी, अराज  
शुभ महाप्रबन्धक, कार्मिक

80/C